तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान सरकार बनाम ....लक्ष्मण.......बनाम....सरकार	नंबर व तारी[illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की ता[illegible] में जारी हुए
	मुकदमा नं० ...413/16... निर्णय दि०............. दिनांक 12.06.2018 प्रार्थी लक्ष्मण के द्वारा प्रार्थना पत्र मिसल तलवी एंव प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश निरस्त किये जाने का प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज दिनांक को न्यायालय मे तलब की गई उभयपक्षकारान के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रार्थी के अधिवक्ता का बहस के दौरान तर्क रहा है कि उक्त प्रकरण का उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचितअवसर देकर न्यायालय के द्वारा दिनांक 4.6.2018 को अंतिम रुप से निस्तारण किया जा चुका था उसके पश्चात अप्रार्थी रातावतार की ओर से अ.धा. 151 जा.दी. का कतई बेबुनियाद तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त डिकी व निर्णय के निष्पादन के विरूद्व एक पक्षिय स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जबकि प्रार्थी को उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र को सुनवाई का कोई समुचित अवसर नही दिया गया तथा अप्रार्थी रामवतार वगैरा की ओर से अपील भी सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है ऐसी सुरत मे उक्त स्थगन का कोई औचित्य नही रह जाता है तथा धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत निर्णय के पश्चात स्थगन आदेश जारी करने का कोईप्रावधान नही है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे । इसका विरोध करते हुये अप्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अप्रार्थी रामावतार के द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यो से अवगत करवाते हुये तथा अपील प्रस्तुत करने का समय दिये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा अप्रार्थी रामावतार के द्वारा अपील प्रस्तुत की जा चुकी है तथा अपील के निस्तारण मे अभी समय लगने की संभावना है ऐसी स्थिती मे स्थगन यथावत् रखा जावे। हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्तागणो की बहस का मनन किया पत्रावली का ध्यानपर्वुक अवलोकन किया पत्रावली का परिशिलन के परिप्रेक्ष्य मे अधिवक्ता अप्रार्थी का यह स्वीकृत तथ्य रहा है कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण की अपील सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है तथा न्यायालयके द्वारा मात्र धारा 151 का प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत मात्र दिनांक 13.6.2018 तक स्थगन दिया गया था जब अप्रार्थी के द्वारा उक्त प्रकरण के सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा चुकी है तो अब उक्त स्थगन का कोई औचित्य नही रह जाता है ऐसी सुरत मे उक्त स्थगन का खारीज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. के तहत दिनांक 6.6.2018 को पारित किया गया स्थगन आदेश खारीज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा	